

मोहम्मद रशीद खान मोहम्मद शर्म  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
प्र. सं. ०३/२०१९

पञ्चाली काज पेची पर ली गर्डी  
श्रीपीलाधीपक प्र. प्रत्यधीपक इन्सुप्राधिया  
पञ्चाली देवा गर्डी श्रीपीलाधीपक दिनांक  
०५/०३/२० को इन्सुप्राधिया होकर लिखित  
व्यक्त पेश करने का इत्तफाका का  
पन्तु उक्त पेची के पश्चात् श्रीपीलाधी  
इन्सुप्राधिया नहीं हो रहा है तथा न लिखित  
व्यक्त प्रत्युत का प्रत्यधीपक की  
इन्सुप्राधिया दिनांक १२/२/२० को लिखित  
व्यक्त पेश ही हुआ है  
अधीनस्थ अधीकारक के प्राप्  
मुख इमिलेज का भी अध्यायक कि  
श्रीपीलाधी की इन्सुप्राधिया में वापिस रह्या का  
प्रत्यधीपक की लिखित व्यक्त के रह्या  
का अध्यायक काने के पश्चात् एम  
अधीनस्थ अधीकारक के श्रीपीलाधी इन्सुप्राधिया  
में किरी प्रका का हस्तकेप करके  
इन्सुप्राधिया नहीं लमझते है कि, इन्सुप्राधिया  
निरस्त योग्य होने के निश्च का  
जाही है। मुख इमिलेज पुनः अधीनस्थ  
अधीकारक को लाया जावे पञ्चाली का  
हुकम होकर वापिस उपर हो।